

न्यायालय-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, चन्देरी, अशोकनगर म०प्र०
(समक्ष :- संतोष कुमार कोल)

व्य०वा०क० - 118ए/11
संस्थित दि० - 06.09.2005

भवूत सिंह पुत्र जनवेद सिंह गूजर, आयु-60 वर्ष,
 आयु-60 वर्ष, धंधा-खेती, निवासी-ग्राम रकतेरा,
 तहसील-चन्देरी, जिला - अशोकनगर म०प्र०वादी

-: ब न म :-

1- चन्दन पुत्र दौलत सिंह, आयु-70 वर्ष ----- (मृत)

वारिसान :-

- 1(अ)- प्रेमबाई विधवा चंदनसिंह, जाति-गूजर,
 आयु-70 वर्ष,
- 2- जसरत पुत्र चंदन, आयु-35 वर्ष,
- 3- शिवराज सिंह पुत्र चंदन, आयु-32 वर्ष,
- 4- सुल्तान सिंह पुत्र चंदन, आयु-32 वर्ष,
- 5- किलेदार पुत्र चंदन, आयु-30 वर्ष,
 समस्त जाति-गूजर, धंधा-खेती,
 समस्त निवासीगण-ग्राम रकतेरा, तहसील-चन्देरी,
 जिला - अशोकनगर म०प्र० ।

प्रतिवादीगण

- 6- म०प्र० शासन द्वारा जिलाधीश,
 जिला - अशोकनगर म०प्र० ।

..... औपचारिक

प्रतिवादी

-:: निर्णय ::-

(आज दिनांक 20.12.2014 को घोषित)

1. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद चंदेरी स्थित ग्राम रकतेरा, तहसील चन्देरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 35/1/10 रकबा 1.000 हैक्टेयर (जिसे की प्रकरण में आगे **वादग्रस्त** भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा) के स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं रास्ते का अवरोध दूर करने हेतु प्रस्तुत किया है।

2. वादी का वाद इस प्रकार है कि, वादी का नाम राजस्व परिपत्रों में वादग्रस्त भूमि के संबंध में भूमि स्वामी के रूप में अंकित है। वादग्रस्त भूमि पर वादी शासकीय अक्श के अनुसार मौके पर काबिज

होकर कार्य कर रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 5 एक ही परिवार के व्यक्ति है किन्तु उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादी को कृषि कार्य करने नहीं दे रहे हैं, अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 5 ने चैत्र माह में दिनांक 24.04.2005 को वादग्रस्त भूमि के जाने के रास्ते में 50 फीट लंबी एवं 3 फीट उंची दीवार बना दी है जिससे वादी को कृषि कार्य करने में एवं वादग्रस्त भूमि में आने-जाने में असुविधा हो रही है। प्रतिवादी क्रमांक 1 चन्दन ने वादी एवं उसके परिवार जन के विरुद्ध सर्वे क्रमांक 35/1/9 के संबंध में न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है इस वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में प्रतिवादी चंदन ने सर्वे क्रमांक 35/1/10 का कुछ अंश अपना बताया है जबकि वादी ने वादपत्र के साथ मौके की स्थिति का शासकीय अक्श प्रस्तुत किया है।

3. वादी का वाद आगे इस प्रकार है कि, वादी ने रास्ते की दीवार हटवाये जाने के संबंध में तहसीलदार को शिकायत की थी एवं धारा 131 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता का आवेदन भी प्रस्तुत किया था। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर बंटाकन दुरुस्ती हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया है जबकि तहसीलदार, चन्देरी ने दिनांक 25.07.1990 को प्रकरण क्रमांक 7अ5/88.89 द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार अक्श में दुरुस्ती कर दी है जिसकी कोई भी अपील प्रतिवादी चन्दन के द्वारा नहीं की गई है इसलिए उक्त आदेश अंतिम हो गया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 5 झगडालू प्रवृत्ति के व्यक्ति है, वे लोग किसी भी तरह वादी को परेशान कर वादी की वादग्रस्त भूमि को हडपना चाहते हैं एवं वादी को वादग्रस्त भूमि में कृषि कार्य नहीं करने दे रहे हैं। याचना की है कि, वादी को वादग्रस्त भूमि का शासकीय अक्श के अनुसार स्वत्व व आधिपत्यधारी घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 5 को एवं उनके प्रतिनिधियों को निषेधित किया जावे कि, वे वादी के आधिपत्य एवं कृषि भूमि में बाधा उत्पन्न न करे तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 5 के द्वारा जो दीवार वादग्रस्त भूमि के मार्ग में बनाई गई है, उसे हटवाया जावे।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 5 ने वादोत्तर प्रस्तुत करते हुए वादी के अभिवचन को इन्कार करते हुए अभिवचन किया है कि, वादी का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है बल्कि वादी एवं उसके भाई बादाम सिंह, दयाराम, ज्ञानसिंह, धनीराम, रूपसिंह, लल्लीराम बगैरह प्रतिवादी चंदनसिंह की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं जिससे विवश होकर चंदन सिंह को भबूत सिंह के विरुद्ध प्रकरण क्रमांक 28ए/2005 चन्दन सिंह विरुद्ध भबूत सिंह प्रस्तुत करना पडा तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 में सर्वे क्रमांक 35/1/9 के संबंध में वाद प्रस्तुत किया है जिसके संबंध में नजरिया नक्शा भी प्रस्तुत किया गया है। वादी के द्वारा गलत नक्शा पेश किया गया है। प्रतिवादी ने संशोधन के माध्यम से यह व्यक्त किया है कि, वादी ने प्रकरण क्रमांक 7ए5/88-89 आदेश दिनांक 25.07.1990 द्वारा तहसीलदार, चन्देरी द्वारा अपने सर्वे क्रमांक 35/1/10 में जो दुरुस्ती

करवाई है वह तहसील न्यायालय में गलत जानकारी देकर गलत तथ्यों के आधार पर कराई है, उक्त प्रकरण में प्रार्थी के पिता चन्दन सिंह आवश्यक पक्षकार थे, उन्हें तलब नहीं किया और न ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया। 35/1/9 एवं 35/1/10 पास-पास लगे हुए सर्वे नंबर है जब एक नक्शे की दुरुस्ती गलत तरीके से कर दी गई तो दूसरा नंबर स्वतः ही प्रभावित हो जावेगा। तहसीलदार, चन्देरी में विधि-विरुद्ध रूप से आदेश पारित किया है। उक्त आदेश से वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। प्रार्थीगण को उक्त आदेश की जानकारी न होने से उनके द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध अपील करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। याचना की है कि, शासकीय अक्ष के अनुसार वादी को स्वत्व घोषणा प्रदान की जावे। सर्वे क्रमांक 35/1/10 विधि-विरुद्ध रूप से हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकपक्षीय रूप से पटवारी ग्राम से मिलकर गलत रिपोर्ट लेकर उसके आधार पर दुरुस्त किया गया है। इसलिए उक्त दुरुस्ती आदेश के प्रभाव का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है इसलिए इस प्रकरण में धारा 257 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के तहत कोई सहायता वादी प्राप्त नहीं कर सकता है।

5. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्न वाद प्रश्न निर्मित किये गये। जिनके निष्कर्ष विवेचना उपरांत मेरे द्वारा अंकित किये जा रहे हैं।

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या वादी वादग्रस्त भूमि का स्वामित्वधारी है ?	
2. क्या वादी वादग्रस्त भूमि का राजस्व मानचित्रानुसार आधिपत्यधारी है ?	
3. क्या प्रतिवादी क्रं. 1 से 5 द्वारा वादग्रस्त भूमि के पहुंच मार्ग में विधि-विरुद्ध रूप से दीवार का निर्माण कर वादी के मार्ग को अवरुद्ध किया है ?	
4. वादी चाही गई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?	
5. क्या वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन कर वाद में पर्याप्त न्याय शुल्क अदा किया गया है ?	
6. सहायता एवं व्यय ?	

--	--

6. वादी के द्वारा अपने वाद पत्र को प्रमाणित किये जाने हेतु कुल तीन साक्षी भवूत सिंह (वा.सा.-1), जहीर खान पठान (वा.सा.-2), हरप्रसाद (वा.सा.-3) की साक्ष्य लेख करवायी है, तथा प्रपी-1 लगायत प्रपी-5 के दस्तावेज प्रदर्शित करवाये हैं, तथा प्रतिवादी के द्वारा कुल तीन साक्षी जशरथ सिंह (प्रति.सा.-1), पर्वत सिंह (प्रति.सा.-2), परमाल सिंह (प्रति.सा.-3) की साक्ष्य लेख करवाई है, तथा प्र.डी.-1 का दस्तावेज प्रदर्शित करवाये हैं।

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

—:: वादप्रश्न क्रमांक - 1 व 2 ::—

7. उक्त दोनों वाद प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति के बचने के उद्देश्य से एक साथ किया जा रहा है। उक्त वाद प्रश्नों को प्रमाणित करने का भार वादी पर है। उक्त संबंध में वादी भवूत सिंह (वा. सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि वादग्रस्त भूमि के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि है जिसमें शासकीय मानचित्र के अनुसार वह काबिज है। इसी प्रकार साक्षी जहीर खान पठान (वा.सा.-2) जो कि ग्राम रकतेरा का पटवारी है, उसने भी अपने कथन में बताया है कि भूमि सर्वे क्रं. 35/1/9 कृषक चंदन सिंह के नाम एवं सर्वे क्रं. 35/1/10 कृषक भवूत सिंह के नाम अंकित है। इस प्रकार उक्त दोनों अपने अपने सर्वे क्रं. के स्वामी है। तथा उसके द्वारा प्रपी-6 का नक्शा भी प्रदर्शित कराया गया है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

8. साक्षी जशरथ सिंह (प्रति.सा.-1) ने अपने कथन में बताया है कि सर्वे क्रं. 35/1/9 रकबा 5 बीघा भूमि उसकी एवं उसके भाईयों की पुस्तैनी भूमि है। पटवारी कागजों में भी उसके पिता के नाम पर है, उसके पिता की मृत्यु हो गयी है। उक्त भूमि से लगी हुयी भवूत सिंह बगैरह की भूमि है। किंतु भवूत सिंह ने उसकी जानकारी के बिना अपने अक्स की दुरस्ति करा ली है। जबकि मौके के कब्जे के अनुसार उसके अक्स की दुरस्ति होना है जिसके संबंध में एसडीएम न्यायालय में अपील की है। इसी प्रकार पर्वत सिंह (प्रति.सा.-2) एवं परमाल सिंह (प्रति.सा.-3) ने भी अपने कथनों में बताया है कि चंदन सिंह एवं भवूत सिंह दोनों की भूमि पास पास लगी हुयी है और बगल से शासकीय नाला निकला हुआ है।

9. वादी भवूत सिंह (वा.सा.-1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वादग्रस्त भूमि उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। जिसके समर्थन में खसरा वर्ष 2004-05 प्रपी-1 का प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार सर्वे क्रं. 35/1/10 वादी भवूत सिंह के नाम पर अंकित है। इसके अतिरिक्त वादी के द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 16.11.06 प्रपी-4 प्रस्तुत किया है।

खसरा वर्ष 2004-05 प्रपी 1 के अतिरिक्त वादी के द्वारा वर्तमान समय का कोई भी खसरा या किस्तबंदी खतौनी प्रस्तुत किया है और न ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि वादी के स्वामित्व पर कब और कहां से आई। इस प्रकार देखा जावे तो वादी के द्वारा अपने स्वामित्व को प्रमाणित करने हेतु कोई भी पुष्टिकारक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। विधि का यह सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि राजस्व दस्तावेज के आधार पर स्वामित्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। यदपि वादी की ओर से प्रस्तुत तहसीलदार का आदेश दिनांक 16.11.06 प्रपी-4 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। वादी भवूत सिंह को प्रतिपरीक्षण में सुझाव देने पर भी वादी ने स्वीकार किया है कि वह पांच बीघा जमीन पर कब्जा किये हुये है। इस प्रकार वादी के साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वह वादग्रस्त भूमि का स्वामित्वधारी हैं। किंतु यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि वादी वादग्रस्त भूमि पर राजस्व मानचित्र के अनुसार काबिज है। तदनुसार वाद प्रश्न क्रं. 1 का निष्कर्ष “प्रमाणित नहीं” में दिया जाता है एवं वाद प्रश्न क्रं. 2 का निष्कर्ष “प्रमाणित” में दिया जाता है।

—:: वादप्रश्न क्रमांक — 3 व 4 ::—

10. उक्त दोनों वाद प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति के बचने के उद्देश्य से एक साथ किया जा रहा है। उक्त वाद प्रश्नों को प्रमाणित करने का भी भार वादी पर है। उक्त संबंध में वादी भवूत सिंह (वा.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि प्रतिवादीगण उसकी कृषि भूमि में आने जाने में बाधा उत्पन्न करते हैं। प्रतिवादीगण के द्वारा लगभग ढाई वर्ष पूर्व उसके कृषि आने जाने के मार्ग में पचास फीट लंबी एवं तीन फीट उंची दिवार बना दी है। इसी प्रकार साक्षी हरप्रसाद (वा.सा.-3) ने भी अपने कथन में बताया है कि वादी के खेत में आने जाने के रास्ते में प्रतिवादीगण ने ढाई वर्ष पूर्व दिवार बना दी है जिससे वादी को अपने कृषि भूमि में आने जाने में अवरोध उत्पन्न हो रहा है।

11. जबकि इसके विपरीत चंदनसिंह (प्रति.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि वादी के भूमि में जाने के रास्ते में किसी भी प्रकार का पचास फीट लंबी एवं तीन फीट उंची दिवार नहीं बनाई गयी है। बल्कि वादी अपने खेत में जाने के लिये खेतों की मेढों से निकलते थे, तथा बहुत से किसान खेतों की मेढों से जाते हैं। वादी जिस नाले से रास्ता बनाना चाहता था उस नाले में काफी उंची पुलिया बन गयी है जिस कारण रास्ता नहीं बनाया जा सका। इसी प्रकार पर्वत सिंह (प्रति.सा.-2) एवं परमाल सिंह (प्रति.सा.-3) ने भी अपने कथन में बताया

है कि वादी एवं अन्य कृषक खेत की मेढों से ही निकलते हैं। वादी के खेत में जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। चंदन सिंह के द्वारा कभी भी वादी के रास्ते पर दीवार नहीं बनाई है।

12. पटवारी जहीर खान पठान (वा.सा.-2) का यह कहना है कि वादी दूसरे किसानों की मेढ से निकलते हैं। नाले में पानी न होने की स्थिति में किसान उस नाले से निकल जाते हैं। किंतु उक्त साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहता है कि किसी व्यक्ति या किसान को व्यक्तिगत रूप से नाले में रास्ता बनाने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार वादी को भी नाले में रास्ता बनाने का अधिकार नहीं है। वादी की ओर से प्रस्तुत तहसीलदार का आदेश दिनांक 16.11.06 प्रपी-4 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि पटवारी अभिलेख के अनुसार नक्शों में रास्ता अंकित है। ग्रामीण व्यक्ति उसी रास्ते से अपना निस्तार करते थे। किंतु उक्त आदेश में यह भी उल्लेखित है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र. 35/1/10 के लिये कोई अभिलेख अनुसार शासकीय रास्ता नहीं है। नाले में पानी न होने की स्थिति में लोग मेढों से निकलते थे। चूंकि पूर्व में भी यह तथ्य प्रकट हुआ था कि नाले में पानी न होने की दशा में कृषक वहां से निकल जाते थे। किंतु किसी शासकीय नाले में किसी व्यक्ति को रास्ता बनाने का कोई अधिकार नहीं है। वादी भवूत सिंह को प्रतिवादी के द्वारा प्रतिपरीक्षण में सुझाव देने पर वादी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहता है कि वादग्रस्त नाला के उपर सरकारी पुलिया बन गयी है। जिसे प्रतिवादीगण ने अपने साक्ष्य में बताया है। जहां तक वादी का यह कहना है कि वादग्रस्त स्थान पर दीवार बनी है, वहीं वादी अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहता है कि दीवार किस तारीख व तिथि को बनी है उसे जानकारी नहीं है, बल्कि जशरथ सिंह (प्रति.सा.-1), पर्वत सिंह (प्रति.सा.-2) व परमाल सिंह (प्रति.सा.-3) को प्रतिपरीक्षण में वादी के द्वारा सुझाव देने पर भी उक्त साक्षीयों ने इस बात से इंकार किया है कि वादग्रस्त स्थान पर दीवार का निर्माण किया गया है। बल्कि वादी साक्षी जहीर खान पठान (वा.सा.-2) ने भी अपने साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि वादग्रस्त स्थान पर किसी प्रकार का दीवार का निर्माण किया गया है। अतः वादी अपने साक्ष्य एवं दस्तावेज से यह तथ्य भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि प्रतिवादीगण के द्वारा वादग्रस्त भूमि के पहुंच मार्ग में विधि विरुद्ध रूप से दीवार का निर्माण कर वादी के मार्ग को अवरुद्ध किया है, इसलिये वादी किसी भी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता पाने के अधिकारी नहीं है। तदनुसार वाद प्रश्न क्रं. 3 एवं 4 का निष्कर्ष **“प्रमाणित नहीं”** में दिया जाता है।

—:: वाद प्रश्न क्रमांक - 5 ::—

13. इस संबंध में प्रतिवादी की ओर से आक्षेप किया गया है कि, वादी ने न्यायशुल्क कम लगाया है, वादी ने यह दावा स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रास्ते का अवरोध दूर करने बाबत प्रस्तुत किया है।

वादी ने अपने वाद का कुल मूल्यांकन 1,000/- रुपये कर न्याय शुल्क 100/-रुपये चस्पा किया है। प्रतिवादी की ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि, वादी के द्वारा किया गया मूल्यांकन किस प्रकार से कम है। अतः वादी द्वारा किया गया मूल्यांकन उचित रूप से किया गया है तथा पर्याप्त न्यायशुल्क चस्पा किया गया है। तदनुसार इस वादप्रश्न का निष्कर्ष सकारात्मक रूप से "हाँ" पाया जाता है।

-:: वाद प्रश्न क्रमांक -6 ::-

-:: सहायता एवं व्यय ::-

14. उपरोक्त वाद प्रश्नों की विवेचना एवं उसमें दिये गये निष्कर्ष के आधार पर वादी अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है, अतः वादी का वाद निरस्त किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादी अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। अभिभाषक शुल्क सूची अनुसार अथवा जो भी कम हो जोड़ी जावे।

"तदनुसार जय पत्रक तैयार किया जावे। "

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

(संतोष कुमार कोल)
कोल)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चंदेरी, जिला अशोकनगर

(संतोष कुमार

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चंदेरी, जिला अशोकनगर